प्रतिवेद्य

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 3012/2008

सुरक्षित तिथि: 16 मई 2008

उद्घोषित तिथि: 04 जुलाई 2008

आर.पी.एस. पंवार .....याचिकाकर्ता

के द्वारा : श्री एच.के. गुप्ता सह श्री जी.एस.चम्मन, अधिवक्तागण

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

के द्वारा : श्री आर.वी.सिन्हा सह श्री ए.एस.सिंह, अधिवक्तागण

कोरम :-

माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. सीकरी

माननीय न्यायमूर्ति श्री जे.आर. मिधा

1. क्या स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है?
2. रिपोर्टर को संदर्भित किया जाना है या नही?
3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए?

न्या. ए.के. सीकरी

1. याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.1.1968 को दूरसंचार विभाग (संक्षेप में, 'डी.ओ.टी.') में इंजीनियरिंग पर्यवेक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था और समय-समय पर पदोन्नति प्राप्त की थी। वर्ष 1999 तक वे आई.टी.एस. ग्रुप-ए (एस.ए.जी. लेवल) के जी.एम. (टेलीफोन) के पद पर पदोन्नत हो गए थे और मुरादाबाद में पदस्थ थे। जुलाई 2003 में उन्हें जी.एम. (टेलीफोन) के पद पर मुजफ्फरनगर स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ दिनांक 18.9.2003 को सी.बी.आई. द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। यह मामला सीबीआई द्वारा दिनांक 12.9.2003 को आय से अधिक संपत्ति के आरोप में दर्ज प्राथमिकी और अधिकारियों को इसकी सूचना न देने के आधार पर दर्ज किया गया था। चूंकि उनकी अभिरक्षा अवधि 48 घंटे से अधिक थी, इसलिए केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10(2) के अंतर्गत दिनांक 23.09.2003 को आदेश जारी किया गया था, जिसके अनुसार उन्हें दिनांक 18.09.2003 अर्थात उनकी गिरफ्तारी की तिथि से निलंबित माना गया है। यद्यपि याचिकाकर्ता को दो महीने की अवधि के पश्चात अर्थात् दिनांक 18.11.2003 को जमानत प्रदान कर दी गई थी तथापि उसका निलंबन जारी रहा, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा था।

2. याचिकाकर्ता को केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमावली के नियम 14 के तहत दिनांक 25.10.2004 का आरोप पत्र भी दिया गया था। इसके पश्चात नियम 16 के तहत मामूली शास्ति की कार्यवाही के लिए दिनांक 13-12-2004 को एक और आरोप पत्र जारी किया गया जिसमें उनका उत्तर प्राप्त करने के पश्चात नाराजगी व्यक्त की गई थी। हालांकि, जहाँ तक याचिकाकर्ता के निलंबन का संबंध है, उसके नियोक्ता ने समय-समय पर इसे बढ़ाया है। अंतत दिनांक 15-2-2006 को निलंबन को 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था, यद्यपि याचिकाकर्ता दिनांक 30-4-2006 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर रहा था। इसके पश्चात दिनांक 13-4-2006 को यह उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात भी निलंबित रहेगा। इसके बावजूद, दिनांक 28-4-2006 के एक अन्य आदेश द्वारा उन्हें दिनांक 30-4-2006 को सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई थी। उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28.4.2006 निम्नानुसार है:-

“ <u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय:- अप्रैल, 2006 के दौरान दूरसंचार विभाग/बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति।

******

श्री आर.पी.एस.पंवार (स्टाफ सं. 690), आई.टी.एस. ग्रुप "ए" के एस.ए.जी. के एक अधिकारी, जो वर्तमान में महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल., यूपी (पश्चिम) दूरसंचार सर्कल के रूप में कार्यरत हैं, को दिनांक 30.04.2006 (ए/एन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति है।

2. चूंकि, महाप्रबंधक श्री आर.पी.एस.पंवार (स्टाफ सं. 690) निलंबित हैं और उनकी सतर्कता मंजूरी रोक दी गई है, इसलिए उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली, 1972 के नियम 69 के अनुसार ही अनंतिम पेंशन का भुगतान किया जा सकता है।

3. प्रभार रिपोर्ट सभी संबंधितों को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(अमरजीत सिंह)
भारत सरकार के अवर सचिव।"

3. तदनुसार, याचिकाकर्ता की अनंतिम पेंशन मंजूर कर दी गई थी, जिसे उसने दिनांक 1-5-2006 से प्राप्त करना शुरू कर दिया था। सेवानिवृत्ति के पश्चात, याचिकाकर्ता को दिनांक 5.10.2006 को एक और आरोप पत्र दिया गया था, जिसमें सुरक्षा गार्डों के कार्यकाल को प्रदान करने और बढ़ाने के दौरान दिनांक 19.4.1999 से दिनांक 16.6.2003 की अवधि के दौरान उनके द्वारा की गई विभिन्न अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था, जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अनुसार कदाचार था। इसके बाद दिनांक 15-3-2007 को एक और आरोप पत्र जारी किया गया जिसमें 7 आरोप लगाए गए। ये वर्ष 2000-03 की

अवधि से भी संबंधित हैं जब याचिकाकर्ता तैनात था और जी.एम. (टेलीफोन), मुरादाबाद के रूप में कार्य कर रहा था। दिनांक 6.6.2007 के अपने अभ्यावेदन के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने दिनांक 5.10.2006 और दिनांक 15.3.2007 के आरोप पत्र जारी करने और दिनांक 30.4.2006 के पश्चात यानी उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने को चुनौती दी। तथापि, दिनांक 30-7-2007 के पत्र द्वारा उनके अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। उपरोक्त अस्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात, याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन सं. 1658/2007 को प्राथमिकता दी, जिसे सितंबर 2007 में दायर किया गया था, जिसमें उपरोक्त दो आरोप पत्र जारी करने को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि बाद में उनकी सेवानिवृत्ति के विरुद्ध ऐसी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकी। हम नोट कर सकते हैं कि उक्त मूल आवेदन दायर करने के पश्चात, दिनांक 25.10.2007 और दिनांक 30.10.2007 को उन्हें दो और आरोप पत्र जारी किए गए थे, जो स्वाभाविक रूप से, अधिकरण के समक्ष चुनौती का विषय नहीं थे क्योंकि जब मूल आवेदन को पहले के दो आरोप पत्रों को चुनौती देते हुए दायर किया गया था, तो ये आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे। हम यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही न केवल नियमावली का उल्लंघन थी,

बल्कि *दुर्भावना* और मनमानेपन के आधार पर भी अवैध थी और आगे यह कि वे वहनीय नहीं थी क्योंकि वे उन घटनाओं से संबंधित हैं जो इस तरह के संस्थान से चार वर्ष से अधिक समय पहले हुई थीं। अधिकरण ने दिनांक 31-03-2008 के अपने आदेश के तहत याचिकाकर्ता के स्वतंत्र मूल आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात भी ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। अधिकरण के इस निर्णय को चुनौती देते हुए तत्काल याचिका दायर की जाती है।

4. यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता के पश्चात उपरोक्त दो आरोप पत्र दिए गए थे, जो दिनांक 30.4.2006 को हुआ था। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली (इसके बाद "पेंशन नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 9 के अनुसार, एक सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध भी कुछ शर्तों के तहत आरोप पत्र दिया जा सकता है, और उनमें से एक यह है कि जिस कार्यक्रम के लिए आरोप पत्र जारी किया गया है, वह आरोप पत्र जारी होने की तिथि से चार वर्ष के अंदर होना चाहिए। इस नियम में यह भी अनुबंधित किया गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व अथवा उसके पुनर्नियोजन के दौरान विभागीय कार्यवाहियां शुरू की जाती हैं तो यह समझा जाएगा कि वे कार्यवाहियां नियम 9 के अधीन हैं और उन्हें उसी प्राधिकारी द्वारा जारी रखा जाएगा जिसके द्वारा उनकी

सेवानिवृत्ति के पश्चात भी उन्हें शुरू किया गया था, उसी तरीके से जैसे कि सरकारी कर्मचारी ने सेवा में जारी रखा था। नियम में यह भी कहा गया है कि जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जाता है, तो विभागीय कार्यवाही उस तिथि को शुरू की जाएगी जब उसे निलंबित किया गया था।

5. अधिकरण के समक्ष, याचिकाकर्ता का मामला यह था कि कथित अनियमितताएं उस अवधि से संबंधित हैं जो चार वर्ष से अधिक पुरानी थी और इसलिए, उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात ऐसा कोई आरोप ज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता था। दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण ने अभिवचन दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता को दिनांक 18.9.2003 से लागू होने के पश्चात भी जब आरोप पत्र क्रमशः दिनांक 5.10.2006 और दिनांक 15.3.2007 को जारी किए जाते हैं, तो वे निलंबन की तिथि से संबंधित होंगे और यह माना जाएगा कि विभागीय कार्यवाही निलंबन की तिथि यानी दिनांक 18.9.2003 से शुरू की गई थी। उस तारीख को याचिकाकर्ता पूरी तरह सेवा में था और इसलिए विभागीय कार्यवाही शुरू करने में कुछ भी गलत नहीं था।

6. अधिकरण ने प्रत्यर्थी के निवेदन को स्वीकार कर लिया है और मूल आवेदन को खारिज कर दिया है। हमारे सामने मुद्दा वही रहता है। सब कुछ नियम 9 की व्याख्या पर निर्भर करता है, जिसके पहलुओं पर हम पहले ही प्रकाश डाल चुके हैं।

7. इससे पहले कि हम इस नियम की व्याख्या पर आएं, प्रत्यर्थीगण के कथनों के कुछ पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। प्रत्यर्थीगण के अनुसार, याचिकाकर्ता को 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए सी.बी.आई. अभिरक्षा में रखने के परिणामस्वरूप दिनांक 23.9.2003 के आदेश के तहत दिनांक 18.9.2003 से केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10(2) के अनुसार निलंबित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता को दिनांक 30.04.2006 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति मिलनी थी, उस समय तक सी.बी.आई. की जाँच पूरी नहीं की जा सकी थी। इस समय, याचिकाकर्ता के विरुद्ध मामलों की समीक्षा की गई और यह पाया गया था कि उसके विरुद्ध 10 अन्य विभागीय मामले/शिकायतें लंबित थीं और सभी मामलों को जोड़ने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 13-4-2006 को आदेश जारी किया। जहां तक याचिकाकर्ता के इस कथन का प्रश्न है कि उसे उक्त आदेश दिनांक 11.1.2007 को ही दिया गया था, यह प्रस्तुत किया गया है कि उसने जानबूझकर आदेश प्राप्त करने से परहेज किया तथा बिना अनुमति लिए तथा अपना पता बताए बिना मुख्यालय छोड़ दिया। प्रत्यर्थीगण के सर्किल ऑफिस द्वारा उन्हें आदेश देने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए, लेकिन उन्होंने इसे प्राप्त करने से परहेज किया। सी.बी.आई. को इस मामले की जाँच करने में ढाई वर्ष लग गए क्योंकि इसके लिए जो भारी-भरकम अभिलेख थे, उन्हें देखते

हुए इसकी संवीक्षा की गई और अंतत दिनांक 30-6-2006 को आरोप पत्र दायर किया गया। उन जाँचों के पश्चात ही याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में आरोप स्पष्ट किए गए थे और इसलिए, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें दिनांक 5.10.2006 और दिनांक 15.3.2007 को आरोप पत्र जारी किया गया था। इसलिए, प्रत्यर्थीगण के अनुसार आरोप पत्र जारी करने में कोई देरी नहीं हुई थी। जैसे ही अनियमितताएं प्रकाश में आईं, मामले की केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से पूरी तरह से जांच की गई, और याचिकाकर्ता को गंभीर कदाचार के लिए *प्रथम दृष्टया* जिम्मेदार पाते हुए, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से आरोप-पत्र के ज्ञापन द्वारा विभागीय कार्यवाही शुरू की गई।

8. अब हम नियम 9 की बात करते हैं: -

> **"9. पेंशन रोकने या वापस लेने का राष्ट्रपति का अधिकार**
>
> (1) राष्ट्रपति के पास पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकने, या पूर्ण या आंशिक रूप से पेंशन वापस लेने का, चाहे स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए, और सरकार को हुई किसी भी आर्थिक हानि के संपूर्ण या भाग की पेंशन या ग्रेच्युटी से वसूली का आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में, पेंशनभोगी सेवा की अवधि के दौरान गंभीर कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात पुन: रोजगार पर प्रदान की गई सेवा भी शामिल है:

बशर्ते कि कोई भी अंतिम आदेश पारित करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:

बशर्ते कि जहां पेंशन का कोई भाग रोक लिया गया हो या वापस ले लिया गया हो, ऐसी पेंशन की राशि प्रति माह तीन सौ पचहत्तर रुपये (*दिनांक 1.4.2004 से एक हजार नौ सौ तेरह रुपये - नियम 49 के नीचे जीआईडी देखें*) से कम नहीं की जाएगी।

(2) **(क) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट विभागीय कार्यवाही, यदि सरकारी कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान शुरू की गई थी, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पहले या उसके पुनर्नियोजन के दौरान, तो, सरकारी कर्मचारी की अंतिम सेवानिवृत्ति के बाद, इस नियम के तहत कार्यवाही मानी जाएगी और उस प्राधिकारी द्वारा जारी और समाप्त की जाएगी जिसके द्वारा उन्हें उसी तरीके से शुरू किया गया था जैसे कि सरकारी कर्मचारी सेवा में जारी रहा था:**

बशर्ते कि जहाँ विभागीय कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा संस्थित की जाती हैं वहाँ वह प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करते हुए एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को निवेदित करेगा।

(ख) विभागीय कार्यवाही, यदि सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व, या उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान, संस्थित नहीं की गई हो,-

- **(i) राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना संस्थापित नहीं किया जाएगा,**
- **(ii) ऐसी किसी घटना के संबंध में नहीं होगा जो ऐसी संस्था के गठन से चार वर्ष से अधिक पूर्व घटित हुई हो, तथा,**

(iii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान पर संचालित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्देशित करे और विभागीय कार्यवाहियों को लागू प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जिसमें सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान उसके संबंध में सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकता है।

(3) *हटा दिए गए हैं*

(4) ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में, जो अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हो गया है और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही संस्थित है या जहां उपनियम (2) के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही जारी है, नियम 69 में प्रावधान के अनुसार अनंतिम पेंशन स्वीकृत की जाएगी।

(5) जहां राष्ट्रपति पेंशन रोकने या वापस लेने का निर्णय नहीं लेता है, लेकिन पेंशन से आर्थिक हानि की वसूली का आदेश देता है, तो वसूली सामान्यतः सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को स्वीकार्य पेंशन के एक तिहाई से अधिक दर पर नहीं की जाएगी।

(6) **इस नियम के प्रयोजन के लिए, -**

(क) विभागीय कार्यवाही उस तारीख को संस्थित मानी जाएगी जिस तारीख को सरकारी सेवक या पेंशनभोगी को आरोपों का विवरण जारी किया जाता है, या यदि सरकारी सेवक को पहले की तारीख से निलंबित कर दिया गया है, तो ऐसी तारीख को; और

(ख) न्यायिक कार्यवाही संस्थित मानी जाएगी -

(i) आपराधिक कार्यवाही के मामले में, उस तारीख को जिस दिन पुलिस अधिकारी द्वारा शिकायत या रिपोर्ट की जाती है, जिसका दंडाधिकारी संज्ञान लेता है, और
(ii) सिविल कार्यवाही के मामले में, जिस तिथि को वाद न्यायालय में निवेदित किया जाता है।"

हम मुख्य रूप से पेंशन नियमावली के नियम 9 के उप-नियम 2(क) और उप-नियम (6) से संबद्ध हैं।

9. नियम 9 के उप-नियम (6) के खंड (क) से यह स्पष्ट है कि नियम 9 के प्रयोजन के लिए, विभागीय कार्यवाही उस तिथि को शुरू की गई मानी जाती है जिस तिथि को सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी को प्रभारों का विवरण जारी किया जाता है। तथापि, यदि सरकारी कर्मचारी को पूर्व की तिथि से निलंबित किया गया है तो उन्हें निलंबन की तिथि को ही संस्थापित माना जाता है। खंड (क) में, इस प्रकार, विभागीय कार्यवाही की बात की गयी है, जबकि उप-नियम (6) का खंड (ख) न्यायिक कार्यवाही, आपराधिक और नागरिक से संबंधित है। जहाँ तक आपराधिक कार्यवाही का संबंध है, इन्हें उस तिथि को संस्थित माना जाता है जिस तिथि को पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट की जाती है, जिसका दंडाधिकारी अंततः संज्ञान लेता है। यदि नियम 9 का उप-नियम (6) वर्तमान मामले पर लागू होता है, तो कार्यवाही दिनांक 18.9.2003 को शुरू की गई मानी जाएगी जब याचिकाकर्ता सेवा में था और उसके पश्चात यह उप-नियम 2 (क) के आधार पर इस नियम के तहत जारी रहेगा ।

10. हालांकि, विवादास्पद प्रश्न यह है कि क्या नियम 9 के उप-नियम (6) का खंड (क) तब भी लागू होता है जब कोई सरकारी कर्मचारी निलंबन के दौरान सेवानिवृत्त होता है, लेकिन उस समय तक आरोप पत्र जारी नहीं किया जाता है, जो सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात जारी किया जाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क था कि उप-नियम (6) में दो कारणों से कोई आवेदन नहीं होगा: -

(i) सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध समाप्त हो जाता है और यहां तक कि जब कोई व्यक्ति निलंबन का सामना कर रहा हो, तो ऐसा निलंबन भी सेवानिवृत्ति की तिथि पर समाप्त हो जाता है। इसलिए, यदि आरोप पत्र जारी होने की तिथि को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात की किसी तिथि को आरोप पत्र जारी किया जाता है, तो वह अब निलम्बित नहीं होंगे। उपनियम (6), इसलिए, ऐसी स्थिति में लागू नहीं होगा; और

(ii) वर्तमान मामले में, वैसे भी याचिकाकर्ता का निलंबन विभागीय कार्यवाही के विचार में नहीं, बल्कि आपराधिक कार्यवाही के विचार में था। वास्तव में, यह इस आधार पर निलंबन माना गया कि याचिकाकर्ता को सी.बी.आई. ने गिरफ्तार किया था और वह 48 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में रहा था। इसलिए निलंबन आपराधिक मामले से संबंधित था और अनुशासनात्मक कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए उन्हें निलंबित करने का कोई आदेश पारित

नहीं किया गया था। इस आधार पर भी याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उप-नियम (6) को वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता था।

11. हम पहले मामले में दूसरे प्रस्तुतीकरण पर विचार कर सकते हैं। केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमों के नियम 10 में निलंबन का प्रावधान है। यह अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने या विचाराधीन रहने के दौरान हो सकता है। यह आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने या विचाराधीन रहने के दौरान भी हो सकता है, जैसा कि नियम 10 को पढ़ने से स्पष्ट है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"10. निलंबन

(1) नियुक्ति प्राधिकारी या कोई प्राधिकारी जिसके वह अधीनस्थ है या अनुशासनिक प्राधिकारी या राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी सरकारी सेवक को निलंबित कर सकेगा-

(क) जहाँ उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है या लंबित है; या

(कअ) जहाँ, पूर्वोक्त प्राधिकारी की राय में, उसने राज्य की सुरक्षा के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों में स्वयं को संलग्न किया है; या

(ख) जहाँ किसी दांडिक अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है:

बशर्ते कि ..... "

12. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि निलंबन अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक कार्यवाही से संबंधित हो सकता है। वर्तमान मामले में, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमावली के नियम 10 के उप-नियम (2) के अंतर्गत निलंबन आदेश पारित किया गया, जो इसके मात्र अवलोकन से स्पष्ट होता है:-

<u>आदेश</u>

जबकि श्री आर.पी.एस.पंवार, महाप्रबंधक (दूरसंचार), मुजफ्फरनगर के खिलाफ एक आपराधिक अपराध के संबंध में एक मामला जांच के अधीन है।

और जबकि, उक्त श्री आर.पी.एस.पंवार को दिनांक 18.09.2003 को अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में लिया गया था।

अब, अतः उक्त श्री आर.पी.एस. पंवार को केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10 के उप-नियम (2) के अनुसार उनकी अभिरक्षा की तिथि अर्थात् दिनांक 18.09.2003 से निलंबित माना जाता है तथा वह अगले आदेश तक निलंबित रहेगा।

राष्ट्रपति के आदेशानुसार तथा उनके नाम से।

(डी.पी. सैनी)
भारत सरकार के अवर सचिव"

यह स्पष्ट है कि 48 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में रखने के कारण उन्हें निलंबन के तहत माना गया था। इस निलंबन को समय-समय पर बढ़ाया गया था। प्रत्येक 180 दिनों के पश्चात निलंबन का विस्तार करने वाले पारित आदेशों को तिथियों के परिवर्तन के साथ समान रूप से लिखा गया है। इसलिए, इस तरह के एक आदेश पर ध्यान देने से उद्देश्य पूरा होगा। जबकि निलंबन की अवधि बढ़ाते हुए दिनांक 19-4-2004 के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार कहा गया है -

> "जबकि श्री आर.पी.एस. पंवार, महाप्रबंधक (दूरसंचार), मुजफ्फरनगर के विरुद्ध आपराधिक अपराध के संबंध में मामला जांच के अधीन है। वह इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.09.2003 के अनुसार 18.09.2003 से निलंबित है।
>
> xx xx xx"

13. हालांकि, दिनांक 15.2.2006 के आदेश पारित होने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, जिसने निलंबन आदेश की प्रकृति को बदल दिया। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, याचिकाकर्ता को दिनांक

30.4.2006 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करनी थी। इसलिए, अधिवर्षिता के पश्चात भी याचिकाकर्ता के निलंबन को जारी रखने के मामले पर राष्ट्रपति द्वारा विचार किया गया और दिनांक 13.4.2006 को यह कहते हुए आदेश पारित किया गया कि वह सभी मामलों को अंतिम रूप दिए जाने तक निलंबित रहेगा और निलंबन अवधि के उपचार पर निर्णय ऐसे सभी मामलों के निष्कर्ष पर ही लिया जाएगा। यह आदेश मामलों के दायरे को केवल आपराधिक मामले तक सीमित नहीं करता है, बल्कि स्पष्ट शब्दों में विभागीय मामलों के बारे में भी उल्लेख करता है, जैसा कि दिनांक 13.4.2006 के उक्त आदेश के प्रभावी भाग से स्पष्ट है, जो इस प्रकार है:-

> "अब, इसलिए, राष्ट्रपति ने श्री आर.पी.एस. पंवार के मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और यह देखते हुए कि उनके खिलाफ 10 विभागीय मामले, एक आपराधिक मामले के अलावा, जिसमें उन्हें औपचारिक रूप से निलंबित माना गया था, लंबित हैं, आदेश दिया है कि श्री पंवार सभी मामलों (विभागीय/आपराधिक) के अंतिम रूप से निपटारे तक निलंबित रहेंगे और उनके निलंबन अवधि के बारे में निर्णय केवल ऐसे सभी मामलों के निष्कर्ष पर लिया जाएगा, जो उनके परिणाम पर निर्भर करेगा।
>
> राष्ट्रपति के आदेशानुसार तथा उनके नाम से।"

इस प्रकार, यह आदेश बिना किसी अनिश्चितता के और स्पष्ट रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्ज करता है। एक आपराधिक मामले के अलावा, 10 विभागीय मामलों के लंबित रहने को देखते हुए, राष्ट्रपति ने निर्णय किया था कि वह सभी मामलों (विभागीय/आपराधिक) के अंतिम

रूप से निपटारे तक निलंबित रहेंगे। चूंकि उक्त आदेश के अनुसार, उनके निलंबन को विभागीय मामलों के लंबित रहने के रूप में भी माना गया था, इसलिए याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं दे सकता कि निलंबन केवल आपराधिक जांच के संदर्भ में था और इसका विभागीय मामलों से कोई लेना-देना नहीं था।

इसलिए, हम इस संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार नहीं करते हैं।

14. अब हम पहले निवेदन पर विचार करेंगे, अर्थात नियम 9 के उप-नियम (6) की प्रयोज्यता या अन्यथा उन सरकारी कर्मचारियों पर जो सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। निस्संदेह, सामान्य कानून में, सेवानिवृत्ति के बाद और/या जब नियोक्ता-कर्मचारी संबंध समाप्त हो जाता है, तो कर्मचारी के निलंबित रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि हम सामान्य कानून के इस सिद्धांत को लागू करते हैं, अर्थात एक बार जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, तो नियोक्ता-कर्मचारी संबंध समाप्त हो जाता है, तो इसका परिणाम यह होगा कि नियोक्ता अपने सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता है और उसे इसके लिए दंडित नहीं कर सकता है। हालांकि, नियम 9 का उप-नियम 2(क) कानूनी कल्पना बनाता है और विभागीय कार्रवाई के उद्देश्य से ऐसे अपराधी अधिकारी को सरकार का कर्मचारी मानता है। निस्संदेह, सेवानिवृत्ति के बाद लगाए जा सकने वाले दंड की प्रकृति अलग हो सकती है क्योंकि सेवानिवृत्त कर्मचारी पर केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण

नियंत्रण और अपील) नियमों के नियम 11 के तहत निर्धारित दंड लगाना बेतुका होगा। इस विसंगति को दूर करने के लिए नियम 9 में विभिन्न प्रकार के दंड का प्रावधान है, जो पेंशन और ग्रेच्युटी की जब्ती और/या कटौती से संबंधित हैं। यही कारण है कि जिस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, उसे सेवानिवृत्ति के समय पेंशन और ग्रेच्युटी जारी नहीं की जाती है और उसे केवल अनंतिम पेंशन दी जाती है। एक बार जब हम इस स्थिति को समझ लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, तो इस प्रावधान या कानूनी कल्पना को नियम 9 के उपनियम (6) के तहत प्रदान की गई स्थिति में विस्तारित करना भी समझ में आता है। राष्ट्रपति ने दिनांक 13.4.2006 को विशिष्ट आदेश पारित किए थे, जिसमें विभागीय मामलों के साथ-साथ आपराधिक मामलों के समापन तक निलंबन बढ़ाया गया था। विभागीय मामलों के प्रयोजन से यह माना गया निलंबन सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहेगा। एक बार जब मामले को इस दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो यह निष्कर्ष निकालने में कोई कठिनाई नहीं है कि जब सेवानिवृत्ति के बाद आरोप पत्र दिए गए थे, तब भी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की मानी गई तारीख निलंबन की तारीख होगी।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ***बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य***, 1955 एस.सी.आर. 646 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए तर्क दिया था कि कानूनी कल्पना उस उद्देश्य तक सीमित होनी चाहिए जिसके लिए इसे बनाया गया था और इसे उस वैध

क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ कानून के इस प्रस्ताव के बारे में कोई संदेह नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए पेंशन नियमावली में नियम 9 पेश किया गया है, जैसा कि ऊपर और साथ ही नीचे पैरा 17 में विस्तार से प्रकाश डाला गया है और चर्चा की गई है, हमारी राय बंगाल इम्युनिटी (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप प्रसारित है और उसमें निर्धारित सिद्धांत के विपरीत नहीं है।

16. हम इस स्तर पर यह स्पष्ट कर सकते हैं कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उन्हीं निर्णयों का उल्लेख किया था और उन पर भरोसा किया था जिन्हें अधिकरण के समक्ष उद्धृत किया गया था। विद्वान अधिकरण ने यह मानने के बाद कि नियम 9 के उप-नियम (6) में निहित विचार किए गए प्रावधान वर्तमान मामले पर लागू होंगे, उन निर्णयों पर विचार किया और उन सभी निर्णयों को लागू नहीं होने के रूप में प्रतिष्ठित किया और इस संबंध में अधिकरण के निर्णय के पैरा 15 और 16 में उल्लेख किया गया है। चूंकि हम अधिकरण द्वारा दिए गए तर्क और उक्त मामले के कानून से निपटने के तरीके से सहमत हैं, इसलिए हम उक्त पैरा को पुन: प्रस्तुत करने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं: -

> "15. अब हम मूल आवेदन में आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत मामलों पर विचार करेंगे: -
>
> **जी. कुमारराज** के मामले में, मुद्दा यह था कि क्या आवेदक को सेवानिवृत्ति लाभ स्वीकार्य होगा, जिसे सी.बी.आई. द्वारा मामला दर्ज करने के कारण निलंबित कर दिया गया था,

लेकिन कोई डी.ई. शुरू नहीं किया गया था और न ही आपराधिक न्यायालय में कोई आरोप पत्र दायर किया गया था। यह माना गया कि उनके विरुद्ध केवल मामला दर्ज करने को न्यायिक कार्यवाही की शुरुआत नहीं माना जा सकता है और इसलिए सेवानिवृत्ति लाभ स्वीकार्य हैं।

बनी सिंह के मामले में, यह मामला अनुशासनात्मक जांच शुरू करने में 12 साल से अधिक की अत्यधिक देरी से संबंधित था। इसलिए तथ्य अलग होने के कारण हम इसे वर्तमान मामले से संबंधित नहीं पाते हैं।

जानकीरमन के मामले में, मुद्दा उन कर्मचारियों की पदोन्नति की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का था, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित थी और जब सीलबंद कवर प्रक्रिया का सहारा लिया जाना था। इस प्रकार, यह मामला भी आवेदक के मामले का समर्थन नहीं करता है।

16. अब हम सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा उद्धृत मामलों से भी निपटते हैं:-

गुरप्रीत सिंह भुल्लर और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2006 एस.सी.सी. (एल एंड एस) 658) विनियम 5(5), आई.पी.एस. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अंतर्गत चयनकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामले के लंबित रहने से संबंधित है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कार्यवाहियों को केवल तभी लंबित माना जाना चाहिए जब न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिया गया हो। इस मामले के तथ्य हाथ में मौजूद मामले से बिल्कुल अलग हैं।

बिहार राज्य एवं अन्य बनाम मोहम्मद इदरीस अंसारी (जे.टी. 1995 (4) एस.सी. 134) मामले में एक सेवानिवृत्त सरकारी

कर्मचारी को कम से कम 6 वर्ष पुराने भूल/कृत के कृत्यों के लिए आरोप पत्र जारी किया गया था। आवेदक का कथित कदाचार 1986-87 में हुआ था, जबकि जांच 1993 में शुरू की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के अनुरूप नहीं थी, और 4 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण समय बाधित थी।

एस. रामानुजम बनाम विभागीय जाँच आयुक्त एवं अन्य (1986 (4) एस.एल.आर. 530) में भी यही मामला था, जहाँ सरकारी कर्मचारी दिनांक 31.07.1978 को सेवानिवृत्त हुआ और वर्ष 1971 और 1974-75 से संबंधित चूक/कृत के कृत्यों के संबंध में ज्ञापन दिनांक 31.01.1981 को जारी किया गया था। आवेदन को अनुमति दी गई क्योंकि आरोप पत्र पर 4 वर्ष की सीमा लागू थी और उसे निलंबित नहीं किया गया था। तथ्य अलग-अलग होने के कारण आवेदक के मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **के. पद्मनाभ राव बनाम महालेखाकार, ए.पी.आई., हैदराबाद और अन्य,** (1987 (4) ए.टी.सी. 756) पर भी भरोसा किया। इस मामले में आवेदक की सेवानिवृत्ति से पूर्व ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जांच की कार्यवाही को अभिखंडित कर दिया गया था। इसलिए, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के तहत उनके विरुद्ध कोई जाँच लंबित नहीं थी जिसे पेंशन नियमावली के तहत जारी रखा जा सकता था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि रि.या 985/1982 में उच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप, विभाग के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 9 के तहत पूर्ण रूप या आंशिक रूप से अपनी पेंशन को रोकने या वापस लेने के सीमित उद्देश्य के लिए भी केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमावली के तहत आवेदक के विरुद्ध शुरू की गई जांच को

जारी रखने के लिए सक्षम नहीं है। आवेदक को बिना किसी शर्त के सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई है, इसलिए, उसकी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप पूर्ण पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवांत हितलाभों का हकदार होगा। यह मामला भी यहाँ आवेदक का समर्थन नहीं करता है।

एस.के. माथुर बनाम भारत संघ और अन्य, (2005 (2) सी.ए.टी 286) के संबंध में, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदित किया है कि अधिकरण के निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। इसलिए हम इस निर्णय का संज्ञान नहीं ले सकते हैं।

हमारे सामने कोई और तर्क नहीं रखा गया।

17. इस कानूनी प्रावधान को बनाने और कर्मचारियों के सामान्य कानून अधिकार को कम करने का कारण बहुत स्पष्ट है। एक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी मिलती है और उसे पेंशन भी मिलनी शुरू हो जाती है, जो उसे जीवन भर मिलती रहती है। इतना ही नहीं, उनकी मृत्यु के पश्चात उनका परिवार भी पारिवारिक पेंशन का हकदार है। ये लाभ ऐसे सरकारी कर्मचारियों द्वारा लंबी और निष्ठापूर्वक सेवा प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। तथापि, यदि यह पाया जाता है कि अपने रोजगार के दौरान उसने अनुशासनहीनता अथवा कदाचार का कोई कार्य किया है तो स्वाभाविक रूप से इसका उपदान और पेंशन जैसे अंतिम बकायों पर प्रभाव पडेगा। इस कारण से, जब सेवा में रहते हुए की गई अनियमितताओं का पता चलता है और जब

अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की जाती है, तो सरकार ने सेवानिवृत्ति के पश्चात भी इसे जारी रखने का अधिकार अपने पास ले लिया है। ऐसे मामलों में, जहाँ सेवा के दौरान घोर कदाचार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने शेष जीवन के लिए पूरी पेंशन अर्जित करने की अनुमति देना उचित नहीं हो सकता है क्योंकि पेंशन न केवल लंबी सेवा के लिए बल्कि कर्तव्यों के ईमानदारी और निष्ठापूर्वक निर्वहन के लिए दी जाती है। यही कारण है कि जब सरकारी कर्मचारी सेवा में था तब भी कोई जाँच शुरू नहीं की गई थी, उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात भी उसके विरुद्ध विभागीय रूप से कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, साथ ही, यह प्रावधान करके संतुलन बनाया जाता है कि कथित अनियमितता चार वर्ष से अधिक पुरानी अवधि की नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान पुराने मुद्दों को उठाकर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को परेशान करने की संभावना को कम करता है।

18. एक बार जब पूर्वोक्त स्थिति को निरुत्तर के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, तो मौजूदा स्थिति से उत्पन्न मुद्दे का उत्तर खोजना मुश्किल नहीं है। यहाँ याचिकाकर्ता को सेवा में रहते हुए निलंबित कर दिया गया और कथित अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी गई है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कभी-कभी आरोप की जटिल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जांच में पर्याप्त समय लिया जाता है। वर्तमान मामले में ही, याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी सितंबर 2003, में यानी दिनांक 30.4.2006 को याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से बहुत पहले दर्ज की गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि

याचिकाकर्ता 48 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में रहा, हालांकि शुरू में निलंबन का आदेश पारित किया गया था, राष्ट्रपति ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन के पश्चात इस आदेश को बढ़ाने का निर्णय किया था। ऐसे मामलों में, जहाँ सेवानिवृत्ति के पश्चात जहाँ पूरी हो जाती है, पेंशन नियमावली के नियम 9 को पेश करने का वास्तविक उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि याचिकाकर्ता का प्रतिविरोध स्वीकार कर लिया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि निलंबन का प्रावधान लागू होने योग्य नहीं होगा।

19. इन सभी कारणों से, हम इस रिट याचिका को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज करते हैं।

(ए.के. सीकरी)
न्यायाधीश

(जे.आर. मिधा)
न्यायाधीश

जुलाई 04, 2008
एनएसके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*